HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15009/2025

Mohammad Mohsin S/o Mohammad Bashir, Aged About 25 Years, Resident Of Bhairva Bhakhar, Bhil Basti, Kabir Nagar, Police Station Soorsagar, Jodhpur Raj.
(At Present Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री विकास गोदारा
For Respondent(s)	:	श्री नरेन्द्र गहलोत, लोक अभियोजक श्री फिरोज खान

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना सूरसागर, जिला जोधपुर शहर पश्चिम** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 376(2)(एन), 312 भारतीय दण्ड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त व पीडिता पिछले कई वर्षों से लिव–इन–रिलेशनशिप में रहे हैं, मामले में जो भी संबंध स्थापित किये गये हैं वह पीडिता की मर्जी से किये गये हैं। पीडिता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस में भी स्वीकार किया है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त के साथ घुमने व मिलने जाती थी तथा एक बार गर्भवती भी

हो गई थी। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि जमानत याचिका के साथ जो फोटोग्राफ पेश किये गये हैं उनमें पीडिता व प्रार्थी/अभियुक्त साथ में है, इससे स्पष्ट है कि पीडिता, प्रार्थी/अभियुक्त के साथ राजी–खुशी दिखाई दे रही है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में आई.टी. एक्ट के आरोप प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ नहीं लगाये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की उम्र 25 वर्ष है तथा पीडिता की उम्र 22 वर्ष है। मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है। मामले के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 04.09.2025 से गिरफ्तार किया गया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी/पीडिता के विद्वान अधिवक्ता ने इस कथन स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह देखते हुए कि आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद मोहसीन पुत्र मोहम्मद बशीर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि

यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179/2025, पुलिस थाना सूरसागर, जिला जोधपुर शहर पश्चिम** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **25,000–25,000/– (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

33-Dhanraj Jajoria /-